भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 880

उत्तर देने की तारीख 25 जुलाई, 2023

3 श्रावण, 1945 (शक)

महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न

880. श्री थोमस चाज़िकाडन:

श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हा:

श्री बी. बी. पाटील

श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार खिलाड़ियों द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ के अधिकारियों के विरुद्ध महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न और शोषण के हालिया आरोपों से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खिलाड़ियों से यौन दुर्व्यवहार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और इन मामलों की स्थिति क्या है;

(घ) क्या इन मामलों की पैरवी राज्य द्वारा की गई थी और यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान पैरवी किए गए मामलों का प्रतिशत क्या था और इन मामलों की स्थिति क्या थी;

(ङ) क्या सरकार ने आगे महिला एथलीटों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने की दिशा में कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) महिला एथलीटों के लिए प्रशिक्षण संस्थानों में मौजूद सुरक्षा उपायों और निवारण तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार ने देश में खेल प्रशिक्षण संस्थानों में पदाधिकारियों और प्रशिक्षकों द्वारा यौन शोषण और यौन संबंधों की मांग के संबंध में लगाए गए आरोपों की जांच हेतु किसी समिति अथवा विशेषज्ञ समिति का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): कुछ पहलवानों ने जनवरी, 2023 में भारतीय कुश्ती परिसंघ (डब्ल्यूएफआई) के कार्यकरण में यौन उत्पीड़न, मनमानी और कुप्रबंधन के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन/ धरना दिया । चूंकि, यह मामला एथलीटों की भलाई से संबंधित था, इसलिए सरकार ने तत्काल आरोपों का संज्ञान

लिया और अंतरिम उपाय के रूप में डब्ल्यूएफआई की कार्यकारी समिति को परिसंघ के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के प्रशासन और प्रबंधन से दूर रहने का निर्देश दिया । इसके अतिरिक्त, सरकार ने प्रमुख खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए यौन कदाचार, उत्पीड़न और/ या धमकाने, वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक चूकों के आरोपों की जांच करने तथा डब्ल्यूएफआई के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन को चलाने के लिए पूर्णतया एक अंतरिम उपाय के रूप में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता तथा ओलंपिक पदक विजेता सुश्री एम.सी. मैरीकॉम की अध्यक्षता में सरकार द्वारा 23.01.2023 को एक ओवरसाइट समिति की नियुक्ति की गई ।

वर्तमान में खिलाड़ियों के चयन और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में खिलाड़ियों की भागीदारी के लिए प्रविष्टियां करने सहित डब्ल्यूएफआई के कार्यों का प्रबंधन भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा गठित तदर्थ समिति द्वारा तब तक किया जा रहा है जब तक कि नवनिर्वाचित कार्यकारी समिति कार्यभार नहीं संभाल लेती।

(ग) और (घ): राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एनएसएफ) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, कंपनी अधिनियम आदि के तहत पंजीकृत स्व–विनियमित निकाय है और ये स्वयं अपने संविधान द्वारा शासित होते हैं तथा खिलाड़ियों द्वारा उनके साथ दायर शिकायतों/परिवादों के निपटान के लिए इनका अपना आंतरिक मैकेनिज्म है ।
भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) और वर्तमान में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न की शिकायतों के बारे में प्रदत्त सूचना के आधार पर, चार राष्ट्रीय खेल परिसंघों ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों की सूचना दी है। जिसका विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ड.) से (छ): महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधान राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के तहत अन्य खेल संगठनों पर उसी प्रकार से लागू होते हैं जैसे कि इस अधिनियम में परिभाषित किसी अन्य निकाय पर । इन राष्ट्रीय खेल परिसंघों और अन्य खेल संगठनों के लिए उन्हें रिपोर्ट किए गए यौन उत्पीड़न के मामलों में विद्यमान कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करना आवश्यक है ।

मंत्रालय ने खेलों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए उपाय करने हेतु समय-समय पर आईओए और एनएसएफ को लिखा है। मंत्रालय ने आईओए और एनएसएफ से अपने पदाधिकारियों, कोचों, प्रशासनिक स्टाफ और खिलाड़ियों को खेलों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के बारे में जागरूक करने के लिए भी कहा है।

सभी हितधारकों को जागरूक करते हुए सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत स्वायत्त निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) द्वारा इस आशय के विशिष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे हर समय, खेल भावना और नैतिक आचरण के मूल सिद्धांतों के अनुरूप उचित व्यवहार करें । खेलों में सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण खिलाड़ियों के लिए एक 24*7 हेल्पलाईन भी संचालित करता है । राष्ट्रीय खेल परिसंघों को निम्नलिखित उपायों की भी सलाह दी गई है :-

i) घरेलू/अंतरराष्ट्रीय शिविरों और प्रतियोगिता प्रदर्शन के दौरान महिला एथलीटों के दल के साथ अनिवार्य रूप से महिला कोच होनी चाहिए ।

ii) एथलीटों और अन्यों के साथ नियमित रूप से संवाद करने के लिए सभी राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों और विदेशी एक्सपोजर में अनुपालन अधिकारी (पुरुष एवं महिला) नियुक्त किया जाना आवश्यक है । अनुपालन अधिकारी के कार्यों और उत्तरदायित्वों में खिलाड़ियों तथा अन्यों के साथ नियमित संपर्क करना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खेलों में यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है । अनुपालन अधिकारी को अन्य दायित्वों के साथ यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि कोई सदस्य किसी उल्लंघन के मामले की रिपोर्ट करता है, तो उसे जिम्मेदार प्राधिकारियों को यथाशीघ्र सूचित किया जाना चाहिए ।

iii) किसी भी राष्ट्रीय कोचिंग शिविर और विदेशी एक्सपोजर के शुरू होने से पहले सभी एथलीटों, कोचों और सहायक स्टाफ के लिए शिविर पूर्व जानकारी मॉड्यूल तैयार किए जाएंगे और उन्हें प्रस्तुत किए जाएंगे ।

iv) संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों में महिला कोचों/ सहायक स्टाफ की संख्या बढ़ाई जाएगी ।

****